



उत्तरांचल UTTARANCHAL

00AA 335557

शायक

शायक :- श्री राजीसिंह उमदावर्ष पुत्र अनेपसिंह, ग्राम डंडूसा,  
पोस्ट मौलेखाल, तहसील सख्त, जिला नैनीताल.

नोट :- शायकी प्राम के साथ संलग्न.



*Handwritten signature*

प्रारूप-26  
(नियम 4 क देखिए)

49 सख्त निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

में, रणनीत सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कमोपा सिंह  
आयु 51 वर्ष, जो गम उन्ना पो मी खिल तहसील सख्त का/की निवासी हूँ  
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर  
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध  
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित  
किया गया है/किए गए हैं। XV. A  
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी  
प्रस्तुत करेगा/करेगी): XV. A

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1 of 2007  
(ii) पुलिस थाना (थाने) मखड़ा जिला (जिले) अलीगढ़ राज्य उत्तराखण्ड  
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त  
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 4/P 144, 435,  
506 IPC

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई क्या मीन गौरी रानी  
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे 2008  
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई  
है/हैं नहीं

मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8  
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध  
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक  
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। \*

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A  
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है N.A

(7)



- (iii) पुलिस थाना (थाने) XI-A जिला (जिले) IX-A राज्य VI-A
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है) 144 435
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे 506 9-PC
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है XI-A

स्थान: रानीखेत  
 तारीख: 09/01/2012

अमिताक्षरी  
 अमिताक्षरी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अमिताक्षरी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग छिपाना नहीं है और कोई तात्त्विक बांठ छिपायी नहीं गई है।

रानीखेत

स्थान पर आज तारीख 09/01/2012 को सत्यापित किया।

अमिताक्षरी  
 अमिताक्षरी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अमिताक्षरी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

Solemnly Affirmed before me  
 the Deponent that Sanjeet Singh  
 is Sanjeet Singh Sanjeet Singh  
 that the Contents of this Affidavit are  
 true and correct and he is not aware of  
 the Deponent who is Sanjeet Singh  
 Sanjeet Singh Sanjeet Singh  
 9/1/12  
Y. C. JOSHI  
9/1/12

(8)

अमिताक्षरी